विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम-गुरूवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर।

....

प्रश्न		उत्तर
12 (क)	क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनहित में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सकों का परामर्श शुल्क व विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय जॉच का शुल्क निजी चिकित्सालयों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर किए जाने पर विचार करेंगे?	प्रदेश में निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों द्वारा लिये जाने वाले परामर्श शुल्क व निजी चिकित्सालयों द्वारा विभिन्न प्रकार की जांचो हेतु लिये जाने वाले शुल्क पर राज्य सरकार द्वारा कोई नीति नहीं है।
(ख)	मरीजो का शोषण एवं कर की चोरी रोकने के लिए मरीजों से फीस चिकित्सकों/प्राइवेट अस्पतालो में ऑन लाईन लिए जाने का प्राविधान करेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(ग)	यदि नहीं, तो क्यों?	सभी सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवायें (परामर्शी सेवाओं सहित) नि:शुल्क उपलब्ध हैं।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री